

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, अम्बेडकर भवन, सिविल लाईन रेल्वे क्रॉसिंग के पास, जयपुर

क्रमांक:एफ 9(4)(33) छा. पोर्टल/नवीन सुझाव/सान्याअवि/2021-22/ 8068

दिनांक : 31/01/2024

आदेश

शैक्षणिक सत्र 2023-24 में राजस्थान के मूल निवासी छात्र/छात्राओं के लिए, अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति/अति पिछड़ा वर्ग (पूर्व में विशेष पिछड़ा वर्ग)/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक पिछड़ा वर्ग/विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु समुदाय/मिरासी एवं भिश्ती समुदाय तथा मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं में राज्य की राजकीय/निजी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं एवं राज्य के बाहर संचालित राष्ट्रीय स्तर की राजकीय शिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रमों में प्रवेशित/अध्ययनरत विद्यार्थियों द्वारा बेव पोर्टल www.sjmsnew.rajasthan.gov.in एसजेएमएसन्यू.राजस्थान.जीओवी.इन/स्कॉलरशिप अथवा एसएसओ पोर्टल पर स्कॉलरशिप एसजेई एप अथवा मोबाईल ऐप एसजेईडी एप्लीकेशन के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन करने (कक्षा 11 व 12 के अतिरिक्त) तथा संस्थाओं द्वारा ऑनलाइन पंजीकरण करने, आवेदन पत्र भरने के लिए पूर्व में निर्धारित अन्तिम तिथि में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

क्र.सं.	विषय वस्तु	पूर्व में निर्धारित अन्तिम तिथि	नवीन निर्धारित अन्तिम तिथि
1	उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत छात्रवृत्ति पोर्टल पर शिक्षण संस्थानों द्वारा नवीन पंजीयन करवाने तथा पूर्व में पंजीकृत संस्थाओं की मान्यता एवं पाठ्यक्रमवार फीस स्ट्रक्चर अद्यतन करने हेतु	31 जनवरी 2024	31 मार्च 2024
2	उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत छात्रवृत्ति पोर्टल पर विद्यार्थियों के द्वारा ऑनलाइन पंजीयन एवं आवेदन करने हेतु (कक्षा 11 व 12 के अतिरिक्त)		

उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं से संबंधी विस्तृत जानकारी के लिए केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा जारी अद्यतन दिशा-निर्देश एवं छात्रवृत्ति योजना संचालन प्रक्रिया 2023 बेव पोर्टल www.sjmsnew.rajasthan.gov.in/scholarship अथवा विभागीय बेव साइट sje.rajasthan.gov.in का अनिवार्य रूप से अवलोकन कर लेवें। साथ ही आवेदन करने में किसी भी तकनीकी समस्या होने पर विभागीय जिला कार्यालय में व्यक्तिशः एवं दूरभाष पर सम्पर्क किया जा सकता है।

Signature valid
(जगजीत सिंह मोंगा)
RajKaj Ref 5378547
निदेशक एवं सिग्नेचर अधिकारी
Monga
Designation : Director
Date: 2024.01.30 16:51:08 IST
Reason: Approved

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है:-

1. संयुक्त सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जयपुर।
2. निजी सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग जयपुर।
5. निजी सचिव, सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, जयपुर।
6. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
7. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/संस्कृत, बीकानेर/जयपुर।
8. निदेशक, तकनीकी शिक्षा/निदेशक (प्रशिक्षण), प्राविधिक शिक्षा विभाग, जोधपुर।
9. जिला कलेक्टर/कोषाधिकारी, (समस्त)।
10. वित्तीय सलाहकार, मुख्यावास।
11. अतिरिक्त निदेशक (देवनारायण), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
12. रजिस्ट्रार/डीन/निदेशक/प्रशासक, राजकीय/निजी विश्वविद्यालय/बोर्ड/काउंसिल, समस्त.....।
13. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)/संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी समस्त.....।
14. प्राचार्य, राजकीय मेडिकल/स्नातकोत्तर/स्नातक महाविद्यालय समस्त.....।
15. प्रधानाचार्य राजकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय/ राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय समस्त.....।
16. अधीक्षक राजकीय/निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान समस्त.....।
17. संस्था प्रधान, राजकीय एवं मान्यता प्राप्त समस्त शिक्षण संस्थाएं.....।
18. एनालिस्ट कम प्रोगामर (उपनिदेशक आई. टी.)मुख्यावास को प्रेषित कर लेख है कि छात्रवृत्ति पोर्टल पर उपरोक्तानुसार आदेश विभागीय बेवसाईट पर अपलोड कर वांछित प्रावधान करवाना सुनिश्चित करें।
19. उप निदेशक (प्रचार), मुख्यावास को उपरोक्तानुसार समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार-प्रसार करवाने तथा अपने जिले में स्थित समस्त शिक्षण संस्थाओं को अपने स्तर से सूचित करवाया जाना सुनिश्चित करें।
20. सहायक निदेशक (शिक्षा), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
21. संयुक्त/उप/सहायक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी सान्याअवि (समस्त).....।
22. रक्षित पत्रावली।

निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

Signature valid

RajKaj Ref
5378547

Digitally signed by Jagjeet Singh
Monga
Designation : Director
Date: 2024.01.30 16:51:08 IST
Reason: Approved